रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 1989/चैत्र 13, 1911
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 1989/CHAITRA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1989

अधिसूचना

का.आ. 254(अ) —राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य में 8—शिमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अप्रैल/मई में हुए निर्वाचन में श्री दौलत राम चौहान (जिसे इसमें आगे "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) के निर्वाचन को प्रश्नगत किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्वाचित अभ्यर्थी को अपने 28 दिसम्बर 1982 के निर्णय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के खंड (4) के अर्थान्तर्गत (जिसे इसमें "उक्त अधिनियम" कहा गया है) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है और उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है ।

निर्वाचित अभ्यर्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की थी जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी, 1983 के उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन को रोक दिया था ;

तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा 28 फरवरी, 1986 को फाइल की गई अपील में अपना उक्त रोक-आदेश वापिस करते हुए, खारिज कर दी है ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव ने निर्वाचित अभ्यर्थी का मामला, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसार, 26 फरवरी 1987 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया था ।

उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग की राय इस प्रश्न पर मांगी गई थी कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित कर दिया जाना चाहिए और यदि "हां" तो कितनी अवधि के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपलब्ध देखिए) दी है कि

निर्वाचित अभ्यर्थी को 28 फरवरी, 1986 से, जो वह तारीख है जिसको निर्वाचित अभ्यर्थी की अपील उच्चतम न्यायालय ने खारिज की थी, छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाए ;

अतः मैं, रामस्वामी वेंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 28 फरवरी, 1986 को और से प्रारंभ होने वाली छह वर्ष की अवधि के लिए, निरर्हित कर दिया जाए।

(रामस्वामी वेंकटरामन)
भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1987 का संदर्भ मामला सं. 1 (लो. प्र. अ.)

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश)

विषय : हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दौलत राम चौहान की निरर्हता।

राय

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1951 का अधिनियम" कहा गया है) धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को यह निर्देश इस प्रश्न पर आयोग की राय मांगने के लिए किया गया है कि क्या हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दौलत राम चौहान को उक्त धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन संसद् के किसी सदन या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि "हां" तो वह कितनी अवधि के लिए।

2.1. श्री दौलत राम चौहान, अप्रैल/मई 1982 में हुए साधारण निर्वाचन में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के 8-शिमला सभा निर्वाचनक्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। कई प्रतिद्वन्दी अभ्यर्थियों में से एक अर्थात्, श्री आनंद शर्मा ने, विभिन्न भ्रष्ट आचरणों के आधार पर, श्री चौहान के निर्वाचन को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

2.2. उच्च न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर, 1982 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 123(4) के अर्थान्तर्गत दो आधारों पर श्री चौहान को भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने पाया कि श्री चौहान के प्रचार अभिकर्ता ने, उनकी सहमति से, तारीख 17 मई, 1982 को श्री आनंद शर्मा के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में ऐसे तथ्यों का एक विवरण जारी किया था जो असत्य थे तथा जिनके बारे में श्री चौहान को विश्वास नहीं था कि वे सत्य हैं। इस समाचार प्रेस विवरण केवल पर, दो समाचार पत्रों अर्थात् पंजाब केसरी और इण्डियन एक्सप्रेस में क्रमशः 18 और 19 मई, 1982 को कुछ प्रेस रिपोर्टें छपीं। उच्च न्यायालयों ने यह भी पाया कि ग्राम डाणी शाहपुर, डाकखाना—झण्डेवाला भी भीमाशाह, फाजिल्का (पंजाब) के एक व्यक्ति श्री पोखर सिंह द्वारा भारत के राष्ट्रपति को लिखा गया तात्पर्यित पत्र कूटरचित था और श्री चौहान की सहमति से इसकी साइक्लोस्टाइल प्रतियां निर्वाचनक्षेत्र में प्रदर्शित और वितरित की गईं। उक्त पत्र में तथ्यों का मिथ्या विवरण था, जिसके बारे में श्री चौहान को विश्वास नहीं था कि वे अर्जीदार श्री आनंद शर्मा के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में सत्य हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर उच्च न्यायालय ने श्री चौहान के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया।

2.3 श्री चौहान द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 28 दिसंबर, 1982 के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल किए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने तारीख 18 फरवरी 1985 को उक्त अपील की सुनवाई की और उसका अन्तिम रूप से निपटारा होने तक आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी थी। उक्त रोक आदेश द्वारा श्री चौहान को राज्य विधान सभा में उपस्थित रहने और स्थान बनाए रखने के लिए न्यूनतम दिनों पर हाजिरी पंजी पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, किन्तु सदन की कार्यवाहियों में मत देने और भाग लेने तथा पारिश्रमिक या भत्ते प्राप्त करने की अनुज्ञा नहीं दी गई थी।

2.4 उच्चतम न्यायालय ने तारीख 28 फरवरी, 1986 के अपने अन्तिम आदेश द्वारा श्री चौहान की अपील खारिज कर दी तथा रोक आदेश रद्द कर दिया। 1951 के अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए श्री चौहान को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाने वाले उच्च न्यायालय के विनिश्चय को, उक्त रोक आदेश के रद्द कर दिए जाने की तारीख से, अर्थात् 28 फरवरी, 1986 से प्रभावी कर दिया गया।

2.5 हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव ने तारीख 26 सितम्बर, 1987 के अपने पत्र के साथ, 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसार, श्री चौहान का मामला राष्ट्रपति को, उनके विनिश्चय के लिए निर्देशित किया था। राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अनुसार आयोग की राय मांगी। (देखिए राष्ट्रपति सचिवालय का तारीख 13 अक्तूबर, 1987 का पत्र)।

3.1 ऐसे मामलों में अपनी पिछली कार्य पद्धति और प्रक्रिया को निभाते हुए, आयोग ने इस मामले में श्री चौहान को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की सूचना जारी की और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया। उन्होंने तारीख

7 जनवरी, 1988 का अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । उनके काउंसेल, कुमारी रानी जेठमलानी, अधिवक्ता के माध्यम से तारीख 12 जनवरी, 1988 को उनकी सुनवाई भी की गई। श्री चौहान भी सुनवाई के समय उपस्थित थे ।

3.2 उक्त सुनवाई के समय, कुमारी रानी जेठमलानी ने कहा कि इस मामले में आयोग को दो मुद्दों पर अपनी राय देनी है, अर्थात् क्या श्री चौहान को निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि "हां" तो उसकी अवधि कितनी हो। कुमारी जेठमलानी ने पहले मुद्दे के बारे में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया । दूसरे मुद्दे के बारे में उन्होंने कहा कि 1951 के अधिनियम की धारा 8क स्वयं में पूर्ण है और निरर्हता की अवधि नियत करने के लिए आयोग को उसके द्वारा व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि निरर्हता की ऐसी अवधि नियत करते समय आयोग को निम्नलिखित दो तथ्य ध्यान में रखने चाहिएं, जिन्हें उन्होंने इस मामले में निरर्हता की अवधि कम करने वाला माना है अर्थात् :—

(i) उच्च न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर, 1982 को श्री चौहान का निर्वाचन अपास्त कर दिया था और उनके द्वारा अपील फाइल किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर की गई। रोक सशर्त रोक थी, जिसके द्वारा उन्हें विधान सभा में उपस्थित रहने और हाजिरी लगाने की अनुज्ञा दे दी गई थी । उन्हें सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने और कोई वेतन आदि लेने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया था । इस प्रकार प्रभाव और सारांश में उन्हें विधान सभा के किसी पदासीन सदस्य को प्राप्त सभी अत्यावश्यक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया था तथा वे सभी प्रयोजनों के लिए, तारीख 28 दिसंबर, 1982 से सदन के सदस्य नहीं रह गए थे । अतः उन्हें तारीख 28 दिसंबर, 1982 से न कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के आदेश की तारीख से अर्थात् 28 फरवरी, 1986 से वस्तुतः निरर्हित हुआ समझा जाना चाहिए ।

(ii) उच्च न्यायालय के समक्ष श्री चौहान के विरुद्ध लाई गई निर्वाचन अर्जी में तात्विक और सारवान त्रुटियां हैं क्योंकि उसमें प्रतिवादियों के रूप में आवश्यक पक्षकारों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जैसा कि 1951 के अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपेक्षित है। उच्च न्यायालय का उस अधिनियम की धारा 86 के अधीन यह अर्जी खारिज कर देनी चाहिए थी क्योंकि उसमें उक्त धारा 82 के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया था। यद्यपि, श्री चौहान ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस बात का विरोध किया था किन्तु न्यायालय ने इस आपत्ति को माना नहीं था और उस आधार पर उनकी अपील नामंजूर कर दी थी। किन्तु उस अपील को नामंजूर करते समय उच्चतम न्यायालय ने माधवराव सिंधिया (ए.आई.आर. 1976 एस. सी. 744) वाले मामले में इस मुद्दे पर सुस्थापित विधि का, अनदेखा कर दिया था ।

(iii) श्री चौहान सन् 1967 से सिमला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ते और जीतते आ रहे थे । राज्य विधान सभा के लिए मई 1982 में हुए उनके निर्वाचन को उच्च न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर, 1982 को शून्य घोषित कर दिया था । तत्पश्चात् 1985 में राज्य विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन हुए, किन्तु उनके 1982 के निर्वाचन को अपास्त करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई अपील के लंबित रहने के कारण उन्होंने निर्वाचन नहीं लड़ा । इस प्रकार, एक साधारण निर्वाचन लड़ने के अवसर से उन्हें पहले ही वंचित किया जा चुका है ।

4.1 मैंने श्री चौहान के विद्वान काउंसेल के उक्त अनुरोधों पर सावधानीपूर्वक विचार और उनका विश्लेषण किया है । जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कि श्री चौहान को निरर्हित किया जाना चाहिए या इस बारे में दो राय नहीं हो सकती । श्री चौहान भ्रष्ट आचारण में निकृष्टतम रूप से लिप्त रहे । मेरे विचार में किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए दूसरे प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थी का चरित्रहनन करना, भ्रष्ट आचारण का घोर निन्दनीय रूप है । यह निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता पर मात्र कलंक ही नहीं अपितु इससे निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात् भी संबंद्ध व्यक्ति के निजी और सामाजिक जीवन में उसकी छवि, प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा प्रभावित होती है । चरित्रहनन कई रूप ले सकता है । किन्तु किसी व्यक्ति को हत्यारा बताना या उसे हत्या करने का षडयंत्र करने वाला बताना, चरित्रहनन का निकृष्टतम स्वरूप है और इस मामले में यही हुआ है । उपरोक्त कूटरचित पत्र में अर्जीदार को एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या करने वाला दर्शाया गया है और उस पर अपने पिता के प्रभाव से जो कि राज्य सरकार के अधीन एक उच्च पद पर कार्यरत थे, मामले को दबाने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं पत्र का शीर्षक "हमारे सिख भाई की हत्या किसने की" लिख कर सम्पूर्ण मामले को अत्यंत शरारतपूर्ण और निर्दोष मोड़ देने की कोशिश की गई थी । अतः निस्संदेह मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री चौहान को निरर्हित किया जाना चाहिए। सभी श्री चौहान की विद्वान काउंसिल भी इस मुद्दे का कोई अन्य निष्कर्ष नहीं सोच सकीं

और यह सही भी है, इसीलिए उन्होंने मामले के इस पहलू पर कोई तर्क देना पसन्द नहीं किया ।

4.2 अब प्रश्न यह रह जाता है कि श्री चौहान को किस अवधि के लिए निरर्हित किया जाए । 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) के परन्तुक के अधीन किसी व्यक्ति को उस तारीख से अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जा सकता है जिसको, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश प्रभावी करता । जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, इस मामले में सुसंगत आदेश तारीख 28 फरवरी, 1986 से प्रभावी हुआ है अर्थात् उस तारीख से प्रभावी हुआ है जिसको उच्चतम न्यायालय ने उनको अपील खारिज करने और रोक आदेश रद्द किए जाने का आदेश दिया था । अतः विद्वान काउंसेल का यह अनुरोध कि श्री चौहान को निरर्हता की संगणना, उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से, अर्थात् 28 दिसंबर, 1982 से की जाए, ग्राह्य नहीं है । इस मुद्दे पर सुस्थापित विधि यह है कि निरर्हता उस तारीख से प्रभावी होती है जिसको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए रोक आदेश के यदि कोई हो, रद्द कर दिए जाने पर, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष प्रभावी होते है (देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण) ए आई आर 1975 एस सी 1590) के मामले में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय और चौधरी रहीम खान बनाम निर्वाचन आयोग (66 ई एल आर 26) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का विनिश्चय) ।

4.3 मैं नहीं सोचता कि निरर्हता की अवधि के संबंध में श्री चौहान किसी कृपा के पात्र हैं । विद्वान काउंसेल ने निरर्हता की अवधि कम की जाने के लिए जो दो परिस्थितियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत की हैं उनमें से किसी को भी उस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विद्वान काउंसेल ने यह ठीक ही स्वीकार किया है कि आयोग उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से आबद्ध है । जब उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन अर्जी चालू रखी जाने योग्य है और पक्षकारों का गुणागुण के आधार पर विचारण किया जाए तो आयोग उस निष्कर्ष या विनिश्चय की सत्यता के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता । इससे श्री चौहान द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण की गंभीरता किसी भी दशा में कम नहीं होती । एक यह भी कि श्री चौहान ने वर्ष 1985 में हुए राज्य विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन नहीं लड़ा, निरर्हता का परिशमन करने वाली परिस्थिति नहीं मानी जा सकती । यदि उन्होंने निर्वाचन नहीं लड़ा तो स्पष्टतया यह उनका प्रतिनिधित्व नहीं था । उच्च न्यायालय द्वारा उनका निर्वाचन भ्रष्ट आचरण के आधार पर अपास्त कर दिया गया था और इस मामले में उनकी अपील अभी तक लंबित थी । वे पहले से ही संदेह था और वे निर्वाचकों के अपने पक्ष में होने के प्रति आश्वस्त नहीं थे । । वे इससे भी अवगत थे कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी अपील नामंजूर कर दी गई तो वे निरर्हता ग्रस्त हो जाएंगे । अतः यदि उन्होंने 1985 का साधारण निर्वाचन नहीं लड़ा तो यह बात उनकी इच्छा पर आधारित न हो कर उक्त परिस्थितियों में उनकी विवशता पर आधारित रही होगी । साथ ही यह तथ्य, कि किसी व्यक्ति ने उस दशा में भी निर्वाचन नहीं लड़ा जब वह निरर्हतायस्त नहीं था, उसकी निरर्हता की अवधि नियत करने के लिए प्रशमनकारी परिस्थिति नहीं माना जा सकता । अतः श्री चौहान द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण की निंदनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह मत है कि उसके मामले में विधि के उपबंध पूरी कठोरता से लागू किए जाने चाहिए और विधि द्वारा यथा अनुज्ञात छह वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए उसे निरर्हित किया जाना चाहिए ।

5. उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि श्री दौलत राम चौहान को 28 फरवरी, 1986 से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए । तदनुसार, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उक्त आशय की राय प्रस्तुत करता हूं ।

(रु. वकट सूर्य पेरिशास्त्री)
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली [फा. सं. 7(27)/87-विधायी II]
27 दिसंबर, 1988

एम. के. रामास्वामी,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 3rd April, 1989

NOTIFICATION

S.O. 254(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri Daulat Ram Chauhan (hereinafter referred to as the "returned candidate") from 8-Simla assembly constituency in the State of Himachal Pradesh held in April/May, 1982 was called in question before the High Court of Himachal Pradesh;

And whereas the High Court of Himachal Pradesh by its judgement dated the 28th December, 1982 found the returned candidate guilty of commission of corrupt practice within the meaning of clause (4) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "said Act") and declared his election as void;

And whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court stayed the operation of the High Court's Order on 18th February, 1983;

And whereas the Supreme Court subsequently vacated its stay order and dismissed the appeal filed by the returned candidate on 28th February, 1986 ;

And whereas the case of the returned candidate was submitted by the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha to the President on the 26th September, 1987 in terms of sub-section (1) of section 8A of the said Act;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought in pursuance of sub-section (3) of Section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of section 8A of the said Act, and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of 6 years with effect from 28th February, 1986, that is the date on which the Supreme Court dismissed the appeal of the returned candidate;

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of 6 years commencing on and from the 28th February, 1986.

Dated : 28th March, 1989.

(R. VENKATARAMAN)
President of India

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

REFERENCE CASE NO. 1 (RPA) OF 1987.
[Reference from the President of India under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951]

IN RE : Disqualification of Shri Daulat Ram Chauhan, former member of Himachal Pradesh Legislative Assembly.

OPINION

1. This is a reference from the President of India under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (herinafter referred to as the '1951-Act') seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Daulat Ram Chauhan, a former member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, should be disqualified under sub-section (1) of the said section 8A for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State and, if so, for what period.

2.1 Shri Daulat Ram Chauhan was elected to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from 8-Simla Assembly Constituency at the General Election held in April/May, 1982. His election was challenged before the Himachal Pradesh High Court by one of the rival candidates, namely, Shri Anand Sharma, on the ground of commission of various corrupt practices.

2.2 The High Court, by its Judgment and Order, dated 28th December, 1982, found Shri Chauhan guilty of commission of corrupt practices within the meaning of section 123(4) of the 1951-Act on two counts. The High Court found that, a press statement was issued on the 17th May, 1982, by the Incharge of publicity of Shri Chauhan with his consent which contained statements of facts which were false and which Shri Chauhan did not believe to be true in relation to the personal character and conduct of the petitioner, Shri Anand Sharma. On the strength of press statement, certain press reports also appeared in two newspapers, namely, Punjab Kesari and Indian Express on the 18th and 19th May, 1982, respectively. The High Court also found that a letter purporting to have been written by one Shri Pokhar Singh of village Dhani Shahpur, Post Office Jandewala Bhimashah, Fazilka (Punjab) to the President of India was forged and its cyclostyled copies were displayed and distributed in the constituency with the consent of Shri Chauhan. The said letter contained false statements of facts which Shri Chauhan did not believe to be true in relation to the personal character and conduct of the petitioner, Shri Anand Sharma. On the basis of these findings, the High Court declared the election of Shri Chauhan as void.

2.3 On an appeal filed by Shri Chauhan to the Supreme Court against the aforesaid Order, dated 28th December, 1982, of the Himachal Pradesh High Court, the operation of the said Order was stayed by the Supreme Court on 18th February, 1983, pending the hearing and final disposal of the said appeal. By that stay order, Shri Chauhan was allowed to attend the State Assembly and sign the roll on the minimum number of days to keep his seat intact but was not allowed to vote and take part in the proceedings of the House or draw any remuneration or allowances.

2.4 The Supreme Court, by its final Order, dated 28th February, 1986, dismissed the appeal of Shri Chauhan and the stay order was also vacated. In view of the provisions of section 107 of the 1951-Act, the decision of the High Court, finding Shri Chauhan guilty of corrupt practices, has taken effect from the date of vacation of the said stay order, namely, the 28th February, 1986.

2.5 The case of Shri Chauhan was referred by the Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha to the President of India for his decision in terms of section 8A(1) of the 1951-Act with his letter, dated 26th September, 1987. The President, in turn, sought the opinion of the Commission in terms of section 8A (3) of the said Act vide letter of the President's Secretariat, dated 13th October, 1987.

3.1 In keeping with its past practice and procedure in such matters, the Commission issued a notice to Shri Chauhan to submit his representation in the

matter and was also given an opportunity of personal hearing. He submitted his written representation on the 7th January, 1988 and was also heard on the 12th January, 1988 through his Counsel, Miss Rani Jethmalani, Advocate. Shri Chauhan was also present at that hearing.

3.2 At the said hearing, Miss Rani Jethmalani submitted that the Commission had to tender its opinion in the present matter on two points, namely, whether Shri Chauhan should be disqualified and, if so, for what period. She did not, however, address any arguments on the first point. In regard to the second point, she submitted that section 8A of the 1951-Act was self-contained and gave widest discretion to the Commission to fix any period of disqualification. She urged that, while so fixing the period of disqualification, the Commission should keep in view the following facts, which she described as mitigating circumstances in the present case, viz :—

(i) The election of Shri Chauhan was set aside by the High Court on the 28th December, 1982 and stay granted by the Supreme Court on an appeal filed by him was only a conditional stay allowing him only to attend Legislative Assembly and mark his attendance. He was prohibited from participating in the proceedings of the House nor was he allowed to draw any salary, etc. Thus, in effect and in essence, he was denied all essential attributes of sitting member of the State Assembly and for all purposes he ceased to be a member of House from 28th December, 1982. Therefore, he should be deemed to have virtually suffered the disqualification from 28th December, 1982 and the period of his disqualification should be reckoned from that date, and not from the date of the Supreme Court's Order dismissing his appeal, i.e. 28th February, 1986.

(ii) The election petition before the High Court against Shri Chauhan suffered from material and substantial defects as the necessary parties were not joined as respondents as required under section 82 of the 1951-Act. The High Court should have dismissed the petition under section 86 of that Act for non-compliance of the mandatory provisions of section 82 mentioned above. Though this matter was agitated by Shri Chauhan before the Supreme Court, that Court did not uphold the objection and rejected his appeal on that ground. But while rejecting that appeal, the Supreme Court ignored the law well settled on this point in the case of Madhavrao Scindia (AIR 1976 SC 744).

(iii) Shri Chauhan had been contesting and winning elections from Simla Constituency since 1967. His election to the State Assembly held in May, 1982 was declared void by the High Court on 28th December, 1982. Thereafter, there was a mid-term election to the State Assembly in 1985. He did not contest that election because of the pendency of the appeal filed by him before the Supreme Court against the Judgement of the High Court setting aside his election of 1982. Thus, he has already been deprived of an opportunity to contest one General Election.

4.1 I have carefully considered and analysed the above submissions of the learned Counsel of Shri Chauhan. In so far as the first question whether Shri Chauhan should be disqualified is concerned, there can be no two opinions. Shri Chauhan has indulged in corrupt practices of the worst form. The character assassination of the rival candidates to further the prospects of one's election is, in my view, the most reprehensible form of corrupt practice. It not merely sullies the purity of the electroral process, but also affects the image, standing and dignity of the person concerned in his private and public life even after the election is over. The character assassination may take several forms. But to describe a person as a murderer or one who conspired to commit the act of murder, is the vilest form of character assassination. And this is what was done in this case. In the forged letter, referred to above, the petitioner was projected as a person who got an innocent person murdered and who allegedly got the matter hushed up with the influence of his father who was then working in the State Government in a high position. Not merely this, a further highly mischievous and deplorable twist was sought to be given to the whole matter by giving the forged letter the caption "Who killed our Sikh brother ?" I have, therefore, no hesitation in coming to the conclusion that Shri Chauhan should be disqualified. Even the learned Counsel for Shri Chauhan could not, perhaps, think, and rightly so, of any other conclusion on this point as she chose not to advance any arguments on this aspect of the matter.

4.2 Now, the question remains as to the period for which Shri Chauhan should be disqualified. Under the proviso to section 8A (1) of the 1951-Act, the maximum period for which a person can be disqualified is six years from the date on which the Order of the High Court or, as the case may be, Supreme Court finding a person guilty of corrupt practices takes effect. As has been mentioned above, the relevant Order in the present case takes effect from the 28th February, 1986 i.e., the date of the Supreme Court's Order dismissing his appeal and vacating the stay order. The submission of the learned Counsel that the period of disqualification of Shri Chauhan should be reckoned from 28th December, 1982, i.e., the date of High Court's Order, is untenable. The law on this point is well settled that the disqualification takes effect from the date on which the findings of the High Court take effect on the vacation of the stay order, if any, granted either by the High Court or the Supreme Court. [See the decision of the Supreme Court in Smt. Indira Gandhi Vs. Raj Narain (AIR 1975 SC 1950) and the decision of the Punjab and Haryana High Court in Ch. Rahim Khan Vs. Election Commission (66 ELR 26)].

4.3 I do not think that Shri Chauhan deserves any leniency in so far as the period of disqualification is concerned. The two factors which the learned Counsel for Shri Chauhan urged the Commission to take as mitigating circumstances can hardly be regarded

as such. The learned Counsel rightly conceded that the Commission was bound by the decision of the Supreme Court. When the Supreme Court held that the election petition was maintainable and allowed the parties to go to trial on merits, the Commission cannot go into the question of correctness of that finding or decision. In any case, this does not, in any way, lessen the gravity of the corrupt practice committed by Shri Chauhan. The fact that Shri Chauhan did not contest the mid-term election to the State Assembly held in 1985 can also not be regarded as extenuating circumstance. If he did not contest, it was obviously not by way of expiration. His election had been set aside by the High Court on the ground of commission of corrupt practice and his appeal in the matter was still pending. He was already under a cloud and he could not take the electorate for granted. He must have also been aware that in the event of the Supreme Court rejecting his appeal, he would become liable for disqualification. Therefore, if he did not contest the 1985 General Election, that might not have been on account of his volition but by compulsion of the above mentioned circumstances. Further, the fact that a person did not choose to contest an election when he was not disqualified, cannot be regarded as a mitigating circumstance for fixing the period of his disqualification. Hence, keeping in view the reprehensible nature of the corrupt practices committed by Shri Chauhan, I am of the opinion that the provisions of the law should apply in his case with full rigour and that he should be disqualified for the maximum period of six years as permissible under the law.

5. In view of the foregoing, I am of the opinion that Shri Daulat Ram Chauhan should be disqualified for a period of six years to be reckoned from the 28th February, 1986. Accordingly, I tender my opinion to the above effect to the President of India in terms of section 8(A)(3) of the Representation of the People Act, 1951.

New Delhi, the

27th December, 1988

R. V. S. PERI SASTRI,
Chief Election Commissioner of India.

[No. 7(27)/87 Leg.II]

M. K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989